न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 14/2018

सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

गोपाललाल चौपडा पुत्र श्री छोटूराम चौपडा (विक्रेता), मैसर्सः– गोपाल मावा भट्टी, चौपडो की ढाणी, गांव–मोरीजा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर। निवासी–899, पुरोहित कोटी मोरीजा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अभियुक्त,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011)

उपस्थितिः–
1. पेरोकार सरकार उपस्थित ।
2. अभियुक्त अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27.08.2019

यह परिवाद सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 07.10.2017 को मैसर्सः– गोपाल मावा भट्टी, चौपडो की ढाणी, गांव–मोरीजा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर का अभियुक्त गोपाललाल चौपडा की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर एक पात्र में लगभग 60 लीटर मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु तैयार किया जा रहा था। इसमें गुणवत्ता का शक होने पर इसमें से 2 लीटर मिश्रित दूध हिला मिला कर वारते नमूना जांच संख्या अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई–3176 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 2 लीटर मिश्रित दूध की कीमत अंके रूपये 88/– (अक्षरे रूपये अठ्ठयासी रूपयें मात्र) मौके पर उपस्थित गोपाललाल चौपडा से केश मीमो/रसीद प्राप्त की। जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 2 लीटर मिश्रित दूध की जांच कराये जाने पर अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा मिश्रित दूध का अमानक खाद्य पदार्थ पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाना पाया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया। अभियुक्त द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रकरण में उस पर लगाये गये आरोप अस्वीकार है। दिनांक 03.06.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार चोटवानी न्यायालय में उपस्थित हुए तथा यह कथन किया कि

Scanned by CamScanner

अभियुक्त द्वारा निरीक्षण दिनांक को अमानक मिश्रित दूध का विक्रय किया जा रहा था जिसकी जांच खाद्य विशलेषक से कराये जाने पर विक्रय किये जाने हेतु रखा गया मिश्रित दूध अमानक पाया गया है। अतः अभियुक्त पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावें।

वकील अभियुक्त एवं स्वंय अभियुक्त भी अनुपस्थित।

हमनें पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि दिनांक 07.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के अनुसार तथा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 के अनुसार आवंटित कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मैसर्सः– गोपाल मावा भट्टी, चौपडो की ढाणी, गांव–मोरीजा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर के यहां पर निरीक्षण हेतु पंहुचे तथा निरीक्षण करने पर दुकान में 60 लीटर मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था। जिनमें गुणवता की कमी का/अमानक होने का शक होने पर नमूना जांच हेतु हिला मिला कर 2 लीटर मिश्रित दूध को खरीद कर खरीदशुदा दूध को सील बन्द कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को नमूना जांच हेतु जमा कराई गई। जिसमें खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/2292/एक्ट/2017/2364 दिनांक 01.11.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर धारा 51 के तहत निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 का उल्लघंन पाये जाने पर अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैः–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति।
2. जोन जयपुर क्षेत्र प्रार्थी को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.10.2017 को नमूने के लिऐ क्रय किये 2 लीटर मिश्रित दूध के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 07.10.2017 को दिये गए केश–मीमो दिनांक 07.10.2017 की प्रति जिस पर विक्रेता गोपाललाल चौपडा के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर विक्रेता गोपाललाल चौपडा के है।
5. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्रारूप 6 की प्रति एवं प्रारूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।

Scanned by CamScanner

6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता गोपाललाल चौपडा के हस्ताक्षर है।

7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट दिनांक 01.11.2017 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना अंकित है।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त के पास वरवक्त निरीक्षण अमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध उपलब्ध था जिसमें फेट की मात्रा निर्धारित 4.5 प्रतिशत के स्थान पर 3.10 प्रतिशत पायी गई है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में नमूना लिये गये मिश्रित दूध को अमानक खाद्य पदार्थ पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। चूंकि अमानक खाद्य पदार्थ से आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये रूपये 50,000 (अक्षरे रूपयें पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.08.2019 को सुनाया गया।

27.8.19

(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर

Scanned by CamScanner